भारत में आरक्षण का इतिहासः एक समग्र विश्लेषणः

डॉ. ओमप्रकाश सोलंकी

एस.बी.के.राजकीय महाविद्यालय,
जैसलमेर (राज.)

मुख्य बिन्दुः आजादी, आरक्षण, नौकरिया, शिक्षा, पिछड़ी जातियां, राज्यों में आरक्षण, आन्दोलन एवं संवैधानिक प्रावधान।

भारत में आजादी से पहले ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी व जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरूआत हो चुकी थी। इसके लिए विभिन्न राज्यों में विशेष आरक्षण के लिये समय पर कई आन्दोलन हुए।

भारत में आरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। यहॉ आजादी के पहले की नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरूआत हो चूकी थी। इसके लिए विभिन्न राज्यों में विशेष आरक्षण के लिए समय–समय पर कई आन्दोलन हुये। जिनके राजस्थान का गुर्जर आन्दोलन, हरियाणा का जाट आन्दोलन और गुजरता का पाटीदार (पटेल) आन्दोलन प्रमुख है।

आरक्षण का अर्थः

आरक्षण का अर्थ हे अपनी जगह सुरक्षित करना प्रत्येक व्यक्ति की अथवा हर स्थान पर अपनी जगह सुरक्षित करने या रखने की होती है चाहे वह रेल के डिब्बे के हिस्से में यात्रा करने के लिए हो या किसी अस्पताल में अपनी चिकित्सा कराने के लिए विधानसभा, या लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात हो तो या किसी सरकारी विभाग में नौकरी पाने की।

भारत में आरक्षण की शुरूआत एवं इसके विभिन्न चरणः–

भारत में आरक्षण की शुरूआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी। उस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेज सरकार की नौकरियों में आनुपातिक आरक्षण प्रतिनिधित्व की मागं की थी।

1891 के आरंभ में त्रावणकों के सांमती रियासत में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी करके विदेशियों को भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मांग की गयी।

1901 को महाराष्ट्र के सामंती रियासत कोल्हापुर में शाहू महाराज द्वारा आरक्षण की शुरूआत की गई। यह अधिसूचना भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश है।

1908 में अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी जातियों और समुदायों के पक्ष में प्रशासन में जिनका थोडा बहुत हिस्ससा था के लिए आरक्षण कम किया गया।

1909 और 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान दिया गया।

1921 में मद्रास प्रमी देसी ने जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें गैर ब्राह्मणों के लिए 44 प्रतिशत, के लिए 16 प्रतिशत, मुसलमानों के लिए 16 प्रतिशत, भारतीय एंग्लों/ईसाइयों के लिए 16 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।

1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया जो (पूना समझौता) कहलाता है। जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गयी थी।

1935 के भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया था।

1942 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की।

1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव मे अन्य कई सिफारिशों के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव किया गया था।

26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान में सभी नौकरियों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएं रखी गयी है। इसके अलावा 10 सालों के लिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनूसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए थे। और हर दस साल के बाद सांविधानिक संशोधन के जरिये इन्हें बढ़ा दिया जाता है।

1153 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कालेलकर आयोग का गठन किया गया था।

इस आयोग के द्वारा सौंपी गई अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) के लिए की गयी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया।

1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंडल आयोग की स्थापना की गयी थी। इस आयोग के पास अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के बारे में सटीक आंकडा था। और इस आयोग में ओबीसी की 52 प्रतिशत आबादी का मूल्यांकन करने के लिए 1930 की जनगाना के आंकड़े का इस्तेमाल करते हुए पिछड़े वर्ग के रू में 1257 समुदायों का वर्गीकरण किया था।

1980 में मंडल आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की और तत्कालीन कोटा में बदलाव करते हुए इसे 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 49.5 प्रतिशत करने की सिफारिश की।

2006 तक पिछड़ी जातियों की सूची में जातियों की संख्या 2297 तक पहुंच गयी, जो मंडल आयोग द्वारा तैयार समुदाय सूची 60 प्रतिशत की वृद्धि है।

1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सरकारी नौकरियों में लागू किया गया।

छात्र संगठनों ने इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू किया, और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह की कोशिश की थी।

1991 में नरसिन्हा राव सरकार ने अलग से अगड़ी जातियों में गरीबो के लिए 10 प्रतिशत की शुरूआत की।

1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण को सही ठहराया।

1995 में संसद ने 77वें सांविधनिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरक्की के लिए आरक्षण का समर्थन करते हुए अनच्छेद 16(4) (ए) का गठन किया।

बाद में आगे भी 85वें संशोधन द्वारा इसमें पदोन्नति में वरिष्ठता को शामिल किया गया था।

12 अगस्त 2005 को उच्चतम न्यायालय ने पी.ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में 7 जजों द्वारा सर्व सम्मति से फैसला सुनाते हुए घोषित किया कि राज्य पेशेवर कॉलेजों समेत सहायता प्राप्त कॉलेजों में अपनी आरक्षण नीति को अल्पसंख्यक और गैर निजी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 39वां सांविधानिक संशोधन लाया गया। इसने अगस्त 2005 मे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रभावी रूप से उत्तर दिया।

2006 से केन्द्रीय सरकार के शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू हुआ।

10 अप्रैल 2008 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी धन पोषित संस्थानों में 29प्रतिशत ओ.बी.सी. कोटा शुरू करने के लिए सरकारी कदम को सही ठहराया। इसके अलावा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि क्रिमीलेयर को आरक्षण नीति के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

आरक्षण क्यों दिया जाता है ?

भारत में सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही रखने वाले पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों और धार्मिक/भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत आरक्षित करने के लिए कोटा प्रणाली लागू की है।

भारत के संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए भी आरक्षण नीति को विस्तारित किया गया है।

आरक्षण की वर्तमान स्थितिः

वर्तमान में भारत की केन्द्र सरकार में उच्च शिक्षा में 49.50 प्रतिशत आरक्षण दे रखा है। और विभिन्न राज्य आरक्षणों में वृद्धि के लिए कानून बना सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन राजस्थान और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यो में क्रमशः 68 प्रतिशत और 87 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। जिसमें अगड़ी जातियों के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है।

आरक्षण के प्रकारः

जाति आधारित आरक्षण

केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सीटों में से 22.50 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों (आदिवासी) के छात्रों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत , अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत, ओ.बी.सी. के लिए अतिरिक्त 27 प्रतिशत आरक्षण को शामिल करके आरक्षण का यह प्रतिशत 49.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (AIIMS) में 14 प्रतिशत सीटे अनुसूचित जातियों और 8 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है।

प्रबंधन कोटाः

जाति–समर्थक आरक्षण के पैरोकारों के अनुसार प्रबंधन कोटा सबसे विवादास्पद कोटा है। प्रमुख शिक्षार्थियों द्वारा भी इसकी गंभीर आलोचना की गयी है। क्योंकि जाति, नस्ल और धर्म पर ध्यान दिए बिना आर्थिक स्थिति के आधार पर यह कोटा है। जिससे जिसके पास भी पैसे हो वह अपने लिए सीट खरीद सकता है। इसमें निजी महाविद्यालय प्रबंधन की अपनी कसौटी के आधार पर तय किये गए विद्यार्थियों के लिए 15 प्रतिशत सीट आरक्षित कर सकते हैं। इस कसौटी में महाविद्यालय की प्रवेश परीक्षा या कानूनी तौर पर 10+2 के न्यूनतम प्रतिशत शामिल है।

लिंग आधारित आरक्षणः

महिलाओं को ग्राम पंचायत/ और नगर निगम चुनावों में 33 प्रतिशत (वर्तमान 50 प्रतिशत) आरक्षण प्राप्त है। संसद एवं विधानमण्डल में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के उददेश्य से 9 मार्च 2010 को 186 सदस्यों के बहुमत से महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया था, लेकिन यह विधेयक लोकसभा में अटका पड़ा है।

धर्म आधारित आरक्षणः

कुछ राज्यों में धर्म आधारित आरक्षण भी लागू है। जैसे– तमिलनाडु सरकार ने मुसलमानों और इसाईयों के लिए 3.5–3. 5 प्रतिशत सीटे आंवटित की है। जिसमें ओबीसी आरक्षण 30 प्रतिशत से 23 प्रतिशत कर दिया गया, क्योंकि मुसलमानों या ईसाइयों से अन्य पिछड़े वर्ग को इससे हटा दिया गया है।

केन्द्र सरकार ने अनेक मुसलमान समुदायों को पिछड़े मुसलमानों में सूचीबद्ध कर रखा है। इससे वे आरक्षण के हकदार होते हैं।

राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षणः

कुछ अपवादों को छोड़कर, राज्य सरकार के अधीन सभी नौकरियों, उस राज्य में रहने वाले सभी निवासियों के लिए आरक्षित होती है। पीईसी (PEC) चण्डीगढ़ में पहले 80 प्रतिशत सीट चण्डीगढ़ के निवासियों के लिए आरक्षित थी। और अब यह 50 प्रतिशत है।

पूर्व स्नातक के लिए आरक्षणः

जेआईपीएमईआर (JIPMER) जैसे संस्थानों में स्नातकोत्तर सीट के लिए आरक्षण की नीति उनके लिए है। जिन्होने जेआईपीएमईआर (JIPMER) के एम.बी.बी.एस. द्वारा पूरा किया है। (एम्स) में इसके 120 स्नातकोत्तर सीटों में से 33 प्रतिशत सीट 40 पूर्व स्नातक छात्रों के लिए आरक्षित हुआ करती है।

आरक्षण के लिए अन्य मानदण्डः

- स्वतंत्रता सेनानीयों के बेटे/बेटियों/पोते/पोतियों के लिए आरक्षण।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए आरक्षण।
- खेल हस्तियों के लिए आरक्षण।
- सेवानिवृत सैनिकों के लिए आरक्षण।
- शहीदों के परिवार के लिए आरक्षण।
- अर्न्तजातीय विवाह से पैदा हुए बच्चों के लिए आरक्षण।
- सरकारी उपक्रमो, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयु के विशेष स्कूलों जैसे (सेना स्कूलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू के स्कूलों में उनके कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षण।
- वरिष्ठ नागरिकों/ पीएच के लिए सार्वजनिक बस, परिवहन में सीट आरक्षण।

आरक्षण के सम्बन्ध में सवैधानिक प्रावधानः–

संविधान के भाग 3 में समानता के अधिकार की भावना निहित है। इसके अन्तर्गत अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म, या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 15(4) के अनुसार यदि राज्यों को लगता है तो वो सामाजिक और आर्थिक आयसे पिछड़े या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता की बात कही गई है।

अनुच्छेद 16(4) के अनुसार यदि राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है।

अनच्छेद 330 के तहत संसद और 332 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गयी है।

अन्त में हम यह कह सकते हैं कि भारत में आरक्षण की शुरूआत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समृद्ध बनाने के लिए हुई थी, लेकिन समय के साथ आरक्षण कोर बैंक की राजनीति का शिकार बनती चली गयी।

वर्तमान समय में हर राजनीति दल सत्ता प्राप्ति के लिए आरक्षण शब्द का उपयोग कर रहै है। जिसके कारण आरक्षण का मूल उद्देश्य समाप्त होता जा रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1- अजय सागर, मण्डल आयोग की रिपोर्ट – एक विश्लेषण, सागर प्रकाशन, मैनपुरी।
2- भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या, जगजीवन राम, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली।
3- रिपोर्ट ऑफ दी बैकवर्ड क्लास, कमीशन, 1956, खण्ड प्रथम।
4- डॉ. कैलाश नाथ व्यास, स्वतंत्र भारत में विकास, हिन्दी साहित्य मंदिर, जोधपुर।
5- धीरेन्द्र कामठान, आरक्षण एवं रियायतें, किशोर बुक डिपो, जयपुर।
6- के.एस. सक्सेना, राजस्थान में राजनैतिक जनजागरण, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
7- राजस्थान राजपत्र।
8- बाबा साहब अम्बेडकर, सम्पूर्ण वाड्मय, खंड 9।
9- आर. चन्द्र, कन्हैयालाल चंचरीक, आधुनिक भारत का दलित आंदोलन, युनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2003।

10- के. मधुसूदन रेड्डी (संपादक) : रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया, (लाइट एंड लाइफ पब्लीशर्स) 1982
11- सिंह, परमानंद : इक्वेलिटी, रिजर्वेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, (नई दिल्ली, दीप तथा दीप 1982)
12- सिंह, रामगोपाल : सामाजिक न्याय एवम् दलित संघर्ष (राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी) 1994

समाचार पत्र–पत्रिकाएं

- राजस्थान पत्रिका, बीकानेर
- दैनिक भास्कर, बीकानेर
- नवभारत टाईम्स, नई दिल्ली
- जनसता, नई दिल्ली
- द टाईम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली